बाइक चोर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। रेलवे कॉलोनी पुलिस टीम ने सात साल पुराने मामले में वांछित चल रहे मोटरसाईकिल चोर को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 8 अक्टुबर 2018 को फरियादी राहुल ने रेलवे कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि 4 अक्टुबर 2018 को मोटरसाईकिल से घर से अपने ससुराल बड़ा सोगरिया आया था। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि मोटरसाइकिल को घर के बाहर खड़ा करके अंदर गया और थोड़ी देर बाद जब बाहर आया तो मोटरसाइकिल वहां नही मिली, जिसे कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। शहर एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, आरोपी की गिरफ्तारी के लिये रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने तकनीकी आधार व मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए मोटरसाईकिल चोरी के सात साल पुराने प्रकरण में आरोपी को जिला बारां के थाना अन्ता के पलायता से डिटेन करने में सफलता हासिल की। पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए ग्राम पलायता निवासी सोनू माली (31) को गिरफ्तार किया। शहर एसपी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में पकड़े गये आरोपी ने मोटरसाईकिल चोरी की घटना को स्वीकार किया है।

हत्या के आरोपी को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया

- हत्या कर शव को खेत में दीवार के पास फैंककर हुआ था फरार
- शराब पार्टी में कहासुनी होने पर हत्याकांड को अंजाम दिया था

कोटा, (निसं)। बोरखेड़ा पुलिस टीम ने इलाके में दो वर्ष पूर्व हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले में सामने आया कि शराब पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के दौरान आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, और हत्या कर शव को इलाके के देवाशीष सिटी के पीछे खेत में पत्थरों की कोटनुमा दीवार के पास फेंककर फरार हो गया था। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी पर 25 हजार इनाम की राशि घोषित कर रखा था। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि दो वर्ष पूर्व हुए गोपाल सिंह हत्याकांड के मामले में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए हत्या के आरोपी अभिजीत रॉय उर्फ अरजीत राय को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है।

यह था मामला:-शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 31 अक्टुबर 2023 को बोरखेड़ा पुलिस को सूचना मिली कि देवाशीष सिटी के पीछे खेत में पत्थरों की कोटनुमा दीवार के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मृत व्यक्ति के मुंह व शरीर पर चोटों के निशान थे, मौके पर ही डोग स्क्वायड व एफएसएल टीम को बुलाकर जांच कराई गई। शहर एसपी ने बताया कि मृतक की पहचान मध्यप्रदेश के पिपलीखेड़ी हाल खारी बावड़ी निवासी गोपाल सिंह (40) के रूप में हुई, पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि एक मजदूर अभिजीत राय की टापरी में खून से सने बिस्तर व टुटे हुए कांच मिले एवं सामने आया कि उक्त व्यक्ति अभिजीत राय भी घटना के बाद से लापता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।

शहर एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि युवक की हत्या के मामले का खुलासा करने एवं आरोपी की गिरफ्तारी के लिये शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक लोकेन्द्र पालीवाल के सुपरविजन मे बोरखेड़ा थानाधिकारी देवेश भारद्वाज के नेतृत्व में टीम गठित की गई। शहर एसपी ने बताया कि आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीम को घटना स्थल पर मिले साक्ष्यों जिसमें अभिजीत राय की टापरी में मिले खुन के धब्बों व कांच के टुकड़ो से अभिजीत राय पर शक हुआ।

पुलिस टीम ने घटना स्थल के आस-पास कार्यरत मजदूरों से पूछताछ की, घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरो के फुटेज खंगाले। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम के अनुसंधान के दौरान मृतक गोपाल सिंह व अभिजीत राय को सीसीटीवी फुटेज मे एक साथ देखा गया जिस पर अभिजीत राय के खिलाफ प्रथम दृष्टया से अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पुलिस टीम ने अभिजीत राय के बारे में जानकारी जुटाई। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम को जानकारी में अभिजीत राय के पश्चिम बंगाल का निवासी होने की जानकारी मिली, जिस पर आरोपी की तलाश के लिये एक टीम पश्चिम बंगाल रवाना की गई। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने अथक प्रयास करते हुए आरोपी को पश्चिम बंगाल के गांव बोलमारी से डिटेन कर गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया और ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर आरोपी को कोटा लाया गया। पुलिस टीम ने गोपाल सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए पश्चिम बंगाल के बोलमारी गांव निवासी अभिजीत राय उर्फ अरजीत राय (31) को हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार किया।

मामले में आया सामने-शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि 30 अक्टूबर 2023 को उसकी टापरी में बैठकर उसने व गोपाल सिंह ने साथ बैठकर शराब पार्टी की। शराब पार्टी में कहासुनी होने पर आरोपी ने गोपाल सिंह की हत्या कर दी और लाश को देवाशीष सिटी के पीछे खेत में पत्थरों की कोटनुमा दीवार के पास फेंककर फरार हो गया और गिरफ्तारी के डर से अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्थानों पर फरारी काट रहा था।

अवैध पिस्टल सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। दादाबाड़ी पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान कार्यवाही करते हुए अवैध हथियार पिस्टल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है।

दादाबाड़ी थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि इलाके में गश्त के दौरान मुखबीर की सूचना पर इलाके के गौतम वाटिका के समीप पहुंचकर कार्यवाही करते हुए जिला बूंदी के मोड़ीपाडा बाईपास निवासी सोयल उर्फ फन्टर (21) की तलाशी के दौरान अवैध हथियार पिस्टल बरामद की। टीम ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम

नवनेरा–गलवा–बीसलपुर–ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत नवनेरा बैराज के डिलीवरी सिस्टर्न से मेज नदी के भराव तक सभी संरचनाओं सहित फीडर एवं चम्बल एक्वाडक्ट के निर्माण में कोटा एवं बून्दी जिले की भारत सरकार द्वारा जारी सेधान्तिक स्वीकृति वन भूमि प्रत्यावर्तन (Online Proposal No-: FP/RJ/WATER/504909/2024) दिनांक 03.06.2025

आम सूचनार्थ

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office, Gandhinagar, 3rd Block, 5th Floor, F2, Sector -10a, Karmyogi Bhawan, Gandhinagar (Gujarat)- 382010
Email: lro.gandhingr mefcc@gov.in, Tel No. +9179-29613951

Online Proposal No.: FP/RJ/WATER/504909/2024 Dated: 03/06/2025

To,

Principal Secretary (Forest and Environment), Department of Forest and Wildlife
Government of Rajasthan, Vaniki Path, Near Secretariat Jaipur-302005 (Rajasthan)

Subject: Diversion of 24.05 ha. of Protected Forest land for the Construction of feeder with all structures from delivery cistern at Navnera barrage to submergence of Mez Anycut including construction of aqueduct for crossing of chambal river (NGBI link package 2) in Kota & Bundi Districts of Rajasthan in favour of Eastern Rajasthan Canal Project Corporation Limited, Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/WATER/504909/2024).

Sir/Madam, I am directed to refer to the online proposal no. FP/RJ/WATER/504909/2024 dated 07/11/2024 on the above-mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and to say that the proposal has been examined by **Regional Empowered Committee** in its 25 Meeting held on 30.05.2025.

After careful consideration and approval of the proposal by the 25th REC, the undersigned is directed to convey the **"In-Principle/Stage-I"** approval of the Central Government under section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for the proposal for non-forestry use of 24.05 ha of Protected Forest land for the Construction of feeder with all structures from delivery cistern at Navnera barrage to submergence of Mez Anycut including construction of aqueduct for crossing of chambal river (NGBI link package 2) in Kota & Bundi Districts of Rajasthan in favour of Eastern Rajasthan Canal Project Corporation Limited, Rajasthan subject to the fulfillment of the following general, standard and specific conditions:

1. General Conditions

S.no	Conditions
1.1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged
1.2	The non-forest land identified for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of the state forest department before issue of the stage II clearance
1.3	The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notified by the state Government as RF under Section-4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act, 1927 latest within a period of six months from the date of issue of Stage--II approval. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, as the case may be, within the stipulated period to the Central Government for information and record
1.4	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale
1.5	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation. at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years
1.6	Compensatory afforestation over the degraded forest land double in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency; Or Compensatory afforestation over the non-forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency
1.7	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/l995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard
1.8	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India
1.9	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned
1.10	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required
1.11	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar
1.12	The User agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the Stale Forest Department. A scheme of the same may be submitted along with the compliance report
1.13	No labour camp shall be established on the forest land
1.14	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the laborers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas
1.15	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal
1.16	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government
1.17	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government
1.18	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused
1.19	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department
1.20	The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted in accordance with the relevant guidelines issued by the MoEF
1.21	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. **Bird'** s nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project
1.22	The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on Ist January and Ist July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State
1.23	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st **December** of every year
1.24	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
1.25	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project
1.26	Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 28.08.2015
1.27	User agency shall restrict the felling of trees to 14874 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
1.28	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 22.73 ha non- forest land, Khasra No. 318/34, Village- BAMBULIYA RENMAL, Range- SI ULTANPUR, Tehsil- Digod in Kota District of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
1.29	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 1.32 ha non- forest land, Khasra No. 33, Village- KOTRA DIPSINGH, Range- SI ULTANPUR, Tehsil- Digod in Kota District of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.

2. Standard Conditions

S.no	Conditions
2.1	The user agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir and canals bank and maintain plantations with the State Forest Department (as applicable).
2.2	A Catchment area treatment plan shall be prepared. and implemented by/or under the supervision of State Forest Department at the project cost, if applicable;
2.3	The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down.
2.4	The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per Plan.
2.5	The User agency shall consult organization(s) having experience in consumption of roads in hilly areas to avoid frequent road blockade due to landslides etc. and shall provide breast walls and retaining walls wherever necessary.
2.6	The State Government and the user agency shall ensure that the tress available between full reservoir level (FRL) and FRL—4 meters are nor felled;
2.7	The user agency shall provide free water for the forestry related projects:

3. Specific Conditions

S.no	Conditions
3.1	The User Agency shall construct 6 feet highwall along the boundaries of the non-forest land proposed for CA.
3.2	User Agency shall provide at its cost the required number of Solar Pumps as given by the Forest Department for irrigating the CA plantation.
3.3	The User Agency shall abide by all the conditions imposed by the National Board of Wildlife (NBWL).
3.4	The User Agency shall also plant 7000 trees of Ficus species/Indigenous species in lieu of the trees felled for the proposal, on both sides of the canal at its cost.

After receipt of compliance report on fulfillment of all the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to RO. Gandhinagar. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard. Further, it may also be noted that this In-principle/Stage-1 approval shall be valid for a period of 2 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principal approval shall be revoked after two (02) years.

Copy To
1. Chief Executive Officer, National CAMPA, MoEF&CC, Indira Paryavaran, Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi- 110003 (Email-adhoc-campa-mef@nic.in).
2. The Inspector General of Forests' (Centrist), **ROHQ** Division, Ministry of Environment Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi- 110003.
3. The APCCF & Nodal Officer. Department of Forest and Wildlife, Aranya Bhawan, Jaipur.
4. The Deputy Conservator of Forests, Kota Territorial Division, Kota, Rajasthan.
5. The Deputy Conservator of Forests, Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core) Bundi Division, Bundi, Rajasthan.
6. The concerned User Agency.
7. Guard File.

Your's Faithfully
(Shrawan Kumar Verma)
Regional Officer/Head of Department
Regional Office, Gandhinagar MoEF&CC,
Govt of India

Raj.Samwad/C/25/8986

ट्रक से 482 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा बरामद, एक गिरफ्तार

- आयुर्वेदिक दवाओं के कार्टून बॉक्स के नीचे छिपा रखा था मादक पदार्थ

कोटा, (निसं)। राजस्थान में अवैध मादक पदार्थ तस्करी व तस्करों की धरपकड़ के लिये नारकोटिक्स ब्यूरो टीम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन) चित्तौड़गढ़ सेल के अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुए चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा राजमार्ग, चित्तौड़गढ़ पर एक ट्रक को रोका और तलाशी के दौरान अवैध मादक पदार्थ 482.630 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया। टीम ने कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही केन्द्रीय नारकोटिक्स के उप-नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के निर्देशन में की गई।

उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि एक ट्रक चित्तौड़गढ़ से हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक दवाओं के कार्टून बॉक्स के नीचे भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा छिपाकर ले जा रहा है। उक्त सूचना पर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन) चित्तौड़गढ़ सेल के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और टीम को रवाना किया गया। गठित टीम ने संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी गई और वाहन की सफलतापूर्वक पहचान करने के बाद टीम ने हाईवे पर नरपतखेड़ी ओवरब्रिज के पास ट्रक को रोका लिया गया।

उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि पूछताछ करने पर वाहन चालक ने बताया कि कार्टन बॉक्स के नीचे अवैध डोडा चूरा छिपा हुआ है। ट्रक की तलाशी लेने पर कुल 482.630 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा बरामद हुआ।

कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, बरामद अवैध डोडा चूरा और एक ट्रक को जब्त कर लिया गया है तथा एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच प्रक्रिया जारी।

भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन दिया

कोटा, (निसं)। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बाढ़ प्रभावित किसानों को विशेष आर्थिक पैकेज देने के साथ जिले को आपदाग्रस्त जिला घोषित करने की मांग की।

जिला मंत्री रूपनारायण यादव ने बताया कि भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष जगदीश कलमंडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिसमें बृजराज नागर कोटा महानगर अध्यक्ष, माणक चंद यादव महानगर मंत्री, रूपनारायण यादव जिला मंत्री, कमलेश महानगर प्रचार प्रमुख, महेन्द्र नागर महानगर उपाध्यक्ष, हरिराज सिंह जोलपा आदि के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल कुमार सिंहल को आर्थिक पैकेज की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।

जिलाध्यक्ष जगदीश कलमंडा ने बताया कि आज भी किसान वह दृश्य याद करके रो पड़ते हैं। बाढ़ ने किसानों का सब कुछ छीन लिया कुछ रोते हुए किसान कहते हैं कि हमारा सब कुछ लुट गया और मकान टूट गए, जानवर बह गए, जानवरों का चारा बह गया, हमारा गेहूं लहसुन सोयाबीन जो हमारे भंडार में भरे हुए थे वह सब कुछ बाढ़ में हमारे सामने देखते-देखते ही तबाह हो गए। यदि समय पर हमारे, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन आकर हमें बाढ़ से नहीं निकालते तो शायद हमारा जीवन भी संकट में आ जाता।

आज यह सब कुछ देखकर के हमें चिंता हो रही है कि हम परिवार का भरण पोषण किस प्रकार कर सकेंगे बच्चों की शिक्षा को किस प्रकार हम दिल सकेंगे और हमारे को छत भी नसीब नहीं हुई हमारे छत का सहारा भी टूट गया।

भारतीय किसान संघ मांग करता है कि बड़ा ही दुखद दृश्य सामने आया भारतीय किसान संघ राजस्थान सरकार से मांग करता है कि ऐसी भयानक स्थिति में जब किसानों का सब कुछ छीन गया उस स्थिति में किसानों को सम्पूर्ण जिले में विशेष पैकेज देकर के राहत दी जाए और साथ में जिन किसानों का सब कुछ तबाह हो गया है मकान नष्ट हो चुके हैं। ऐसे किसानों को विशेष योजना में लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना में विशेष रूप से पोर्टल खुल करके ऐसे लोगों को एक महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाया जाए ताकि उनको रहने को छत नसीब हो सकें।

शक्तावत सर्वसम्मति से संरक्षक चुने गए

- कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक हुई

रामगंजमंडी, (निसं)। कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की गुरुवार को एसोसिएशन भवन कुदायला में सामान्य बैठक हुई।

बैठक में पूर्व अध्यक्ष व पत्थर व्यवसायी जगदीश सिंह शक्तावत को सर्वसम्मति से संरक्षक चुना गया। इससे पूर्व शक्तावत इस एसोसिएशन के वर्ष 2001 से 2007 तक उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।

पश्चिम मध्य रेल

सिग्नल एवं दूर संचार विभाग – शुद्धि-पत्र
टेंडर सं.: Kota/SNT/SIG/2025/19
दिनांक: 11.08.2025

निविदा सूचना संख्या Kota/SNT/SIG/2025/19 की शुद्धि पत्र निम्न टेंडर जो निविदा संख्या Kota/SNT/SIG/2025/19 को दिनांक 11.08.2025 के अंतर्गत आमंत्रित किया गया था। अब प्रशासनिक कारणों से इनके खुलने की तिथि एवं कार्य की अनुमानित लागत में परिवर्तन किया गया है, जो इस प्रकार है– टेंडर सं.– कोटा/एसएण्डटी/सिंग./2025/19, कार्य का नाम– एनुअल मेन्टीनेन्स कॉन्ट्रक्ट ऑफ डाटा लॉगर्स इंस्टॉल ऑन कोटा डिवीजन (2025), पुरानी तारीख एवं समय– दिनांक 02.09.2025 को 15:00 बजे तक, परिवर्तित तारीख एवं समय– दिनांक 12.09.2025 को 15:00 बजे तक, (हस्ता)

वरि. मं. सं. एंव दू. सं. इंजी (समन्वय)
पश्चिम मध्य रेल, कोटा

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

पश्चिम मध्य रेल

मुख्य कारखाना प्रबन्धक माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा

निविदा सं. M-324-Wagon Body-Ten-01RE

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से मु.का.प्र. माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा निम्नलिखित कार्य की ई-निविदा आमंत्रित करते है: **टेण्डर सं.** M-324-Wagon Body-Ten-01RE, **कार्य का विवरण:** माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा प.म.रे. में माइल्ड स्टील ओर स्टेनलेस स्टील (बॉक्सएन और बीसीएल ग्रुप) वैगनों में बॉडी मरम्मत के कार्य की आउटसोर्सिंगए जिसमें 12 महीने की अवधि के लिए ठेकेदार द्वारा बेल्डिंग मशीनों की व्यवस्था भी शामिल है। **अनुमानित लागत रु में:** रुपये 6,66,79,200.00/–, **निविदा प्रपत्र राशि रु में:** निल, **बयाना राशि रु. में :** रुपये 4,83,400.00, **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 12 माह, **निविदा बंद/खोलने की तारीख ओर समय:** बंद होगा 11:30 बजे दिनांक 25.09.2025 एवं खोला जाएगा 12:00 बजे दिनांक 25.09.2025 ई-निवदा वेबसाईट https://www.ireps.gov.in इन पर अपलोड की गई है तथा मुख्य कारखाना प्रबन्धक कोटा के प्रगति अनुभाग के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता हैं ऑफर सिर्फ ई. निविदा के माध्यम सिर्फ ई निविदा के माध्यम से इसी वेबसाइट पर स्वीकार किये जायेगें। इस निविदा के लिये मैनुअल ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेगे। यदि ऐसा कोई ऑफर प्राप्त होता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा। (हस्ता)

उप मुख्य यांत्रिक इंजी.–II
मा.डि.म. कारखाना, पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

केडीए अध्यक्ष ने शम्भूपुरा एकीकृत योजना लॉन्च की

कोटा, (निसं)। संभागीय आयुक्त एवं कोटा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पीयूष समारिया ने गुरुवार को केडीए की शंभूपुरा एकीकृत योजना (व्यावसायिक गोदाम एवं व्यावसायिक होलसेल मार्केट योजना) लॉन्च की। इस योजना के तहत 351 व्यावसायिक भूखंड है। इसमें ब्लॉक ए गोदाम के लिए 129 व्यावसायिक भूखंड जबकि ब्लॉक बी में होलसेल मार्केट के लिए 222 व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध होंगे। योजना के तहत 351 व्यावसायिक भूखंडों के विक्रय से केडीए को करीब 137 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। भूखंडों का आवंटन केडीए द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

शंभूपुरा एकीकृत योजना कोटा-बूंदी एयरपोर्ट के समीप तथा हैंगिंग ब्रिज से 4 किलोमीटर की दूरी, कोटा-चित्तौड़गढ़ रोड (नेशनल हाईवे-27) से आधा किलोमीटर की दूरी तथा कोटा-जयपुर रोड़ (नेशनल हाईवे-52) से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केडीए द्वारा योजना के समीप ट्रांसपोर्ट नगर, ट्रक रिपेयर वर्कशॉप, नगर योजना, चार्टर्ड अकाउंटेंट आवासीय योजना, पार्क एवं अन्य आवासीय योजनाओं का प्रावधान किया गया है।

योजना को लॉन्च करते समय केडीए अध्यक्ष समारिया ने कहा कि यह योजना भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत कोटा-बूंदी एयरपोर्ट के समीप होने से काफी महत्वपूर्ण है और कोटा शहर के लिए प्राधिकरण की ओर से बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि स्थानीय व्यवसायी इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि इस योजना से आगे विस्तार की प्लानिंग भी प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। केडीए आयुक्त हरफूल यादव ने लॉन्चिंग के अवसर पर कहा कि यह योजना कोटा-चित्तौड़, कोटा-जयपुर रोड के करीब होने से काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए लॉजिस्टिक सोल्यूशन पहले से ही उपलब्ध है। व्यवसायी वर्ग में इस योजना को लेकर काफी उत्साह है।

केडीए अध्यक्ष पीयूष समारिया एवं केडीए आयुक्त हरफूल यादव ने इस अवसर पर योजना की बुकलेट भी रिलीज की। साथ ही, योजना के प्रचार-प्रसार के लिए गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लॉन्चिंग कार्यक्रम में प्रशिक्षु आईएएस आराधना चौहान, केडीए सचिव कुशल कोठारी, उप सचिव (भूमि अवाप्ति) मालविका त्यागी, निदेशक वित्त नीतू सिंह, निदेशक अभियांत्रिकी रविन्द्र माथुर, पीएनबी के मंडल प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। योजना के तहत आवेदन फार्म गुरुवार से मिलना प्रारंभ हो गए। आवेदन पंजाब नेशनल बैंक कोटा की समस्त शाखाओं, केडीए परिसर के काउंटर तथा अन्य जिलों में जिला मुख्यालय पर पीएनबी की नोडल शाखा से 500 रुपये शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 होगी।

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन
नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदना नम्बर 90/2025 (नाम वर्णन तथा निवास स्थान

श्री प्रवीण भण्डारी पुत्र श्री महावीर चन्द भण्डारी, 26 झालावाड़ रोड़, कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(2) के अन्तर्गत प्रन्यास ''श्री करनी नगर विकास समिति'' गोरधनपुरा, कोटा के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिकसी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 29.10.2025 है। **सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा**

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/864 विज्ञप्ति दिनांक:-6.8.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम उम्मेदगंज योजना "देव एनक्लेव ए" खसरा नं. 93 में स्थित भूखंड संख्या 35 के ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में श्रीमती दीपिका हाड़ा पत्नी श्री शम्भू सिंह नरुका निवासी 9/91 गोविन्द नगर रेल्वे लाईन के पास कोटा राज. द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। भूखंड संख्या 35 का पट्टा क्रमांक 1116 दिनांक 01.04.2022 को श्री भरत राम गोयल पुत्र श्री विमलचन्द गोयल के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा भूखंड संख्या 35 का बेचान जर्ये पंजीकृत मुख्तार आम श्री फेजान खान पुत्र श्री इमामुद्दीन जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 29.12.2023 से श्रीमती दीपिका हाड़ा पत्नी श्री शम्भू सिंह नरुका को कर दिया गया है।

अत: श्रीमती दीपिका हाड़ा पत्नी श्री शम्भू सिंह नरुका के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा-उत्तर

क्रमांक:-ननिको.(उ.)/भ.नि.अनु./जोन-द्वितीय/2025/11028-29 दिनांक: 26.8.25

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री महेश कुमार पुत्र स्व. श्री नंदकिशोर निवासी-331, सुभाष नगर, अनन्तपुरा कोटा राज के द्वारा आवास/भूखण्ड जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा खसरा नं. 274, कैथून रोड पर कोमौर्शियल पेट्रोल पम्प के लिए क्षेत्रफल 1417.5 वर्गमीटर का स्वामित्व स्वयं के नाम पट्टा चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है।

आवास/भूखण्ड जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा खसरा नं. 274, कैथून रोड पर कोमौर्शियल पेट्रोल पम्प के लिए कोटा में स्थित भूमि श्रीमती काली बाई पत्नी स्व. श्री नन्दकिशोर एवं श्री दिनेश पुत्र स्व. श्री नन्दकिशोर ने जर्ये रजिस्ट्रर्ड हक-त्याग दिनांक 12.08.2025 को श्री महेश कुमार पुत्र स्व. श्री नन्दकिशोर के पक्ष में निष्पादित की गई।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार आवास/भूखण्ड जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा खसरा नं. 274, कैथून रोड पर कोमौर्शियल पेट्रोल पम्प के लिए कुल क्षेत्रफल 1417.5 वर्गमीटर भूमि का पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त आवास/भूखण्ड जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा खसरा नं. 274, कैथून रोड पर कोमौर्शियल पेट्रोल पम्प का पट्टा जारी करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य कोई जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, उसको कोई आपत्ती हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ती लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात काई आपती मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा उत्तर

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 1419 जाहिर आम सूचना दिनांक - 28.8.25

आवास संख्या 1-एस 20 तलवण्डी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री मदन लाल पुत्र श्री कृष्ण चंद को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री रमेश कुमार मतानी पुत्र श्री सुरेश कुमार मतानी के नाम दिनांक 28.07.1995 को किया गया। उक्त आवास का पंजीयन श्री रमेश कुमार मतानी पुत्र श्री सुरेश कुमार मतानी द्वारा दिनांक 07.10.1995 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री रमेश कुमार मतानी पुत्र श्री सुरेश कुमार मतानी द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 18.06.2012 को श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री भारत भूषण गुप्ता को किया गया। श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री भारत भूषण गुप्ता का नाम दिनांक 15.04.2025 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात् श्री रमेश कुमार मतानी पुत्र श्री सुरेश कुमार मतानी द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 24.04.2025 को श्रीमती उमा पत्नी श्री लोकेश गोयल को किया गया। श्रीमती उमा पत्नी श्री लोकेश गोयल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-एस-20 तलवण्डी, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख मे दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उमा पत्नी श्री लोकेश गोयल का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उमा पत्नी श्री लोकेश गोयल का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उमा पत्नी श्री लोकेश गोयल के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री हीया चौधरी के जन्म प्रमाण पत्र में माता के रूप में मेरा नाम लता के नाम से अंकित है। जबकि अन्य दस्तावेजों में लता चौधरी अंकित है दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। भविष्य में मुझे लता के नाम से जाना जाए।

पता- लता चौधरी पत्नी अशोक चौधरी 10 बी 32 महावीर नगर कोटा

खोया पाया

मेरे मकान संख्या 1-ग-10 दादाबाड़ी का मूल कब्जा पत्र एवं इन्वेन्ट्री कही खो गई है मिलने पर सम्पर्क करें।

रचना मल्होत्रा
1-ग-10 दादाबाड़ी

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.09.2025 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

भरतपुर, भरतपुर, 138080730014749, भरतपुर राजस्थान, 135690700009969, 9991, 135690700010540, 135690730034339, 135690730041337, कोटा, गुमान पुरा, 112700730062736, 2753, 2836, 3037, 3072, कोटा जंक्शन, 112630700029555, 112630730042813, 5529, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, 135230730049107,

उपरोक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित का पालन करना होगा:- इच्छुक बोलीकर्ताओं को ईएमडी के रूप में रू.10,000/- नीलामी के दिन नकद जमा कराना होगा (असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाएगा). बोलीकर्ता को वैध पहचना प्रमाण/पैन कार्ड साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपया 9911809139 पर संपर्क करें.

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.